Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भीलवाड़ा में ग्राम विकास अधिकारी एवं उसका दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 24 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *14 दिसम्बर,* बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भीलवाड़ा प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये हरिशंकर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ऊंखलिया, पं.स. हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा एवं उसके दलाल राम कुंवार (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **24 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाड़ा प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पुश्तैनी जमीन के पट्टे जारी करने एवं उनकी रजिस्ट्री करवाने की एवज में हरिशंकर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ऊंखलिया, पं.स. हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा द्वारा **24 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी की भीलवाड़ा प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराज सिंह चारण** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री नरसीलाल मीणा** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये हरिशंकर पुत्र श्री गणपत लाल निवासी तेजाजी का चौक, हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ऊंखलिया, पं.स. हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा को उसके दलाल राम कुंवार पुत्र श्री उगमाराम निवासी जूनी खेड़ा, पं.स. हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से **24 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।